अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 846(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधि जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।

(2 ये 01 दिसंबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर सावधि जमा नियम, 1981: के नियम 7 में, -

(क) नियम 7 में, -

(अ) सारणी 'थ' शीर्षक के अधीन "(1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात जमा की गई रकम के लिए)" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "(1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात किन्तु 30 नवंबर, 2011 से पूर्व जमा की गई रकम के लिए)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ब) सारणी 'थ' के पश्चात, निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"सारणी 'द'

[01 दिसंबर, 2011 को या उसके पश्चात जमा की गई रकम के लिए]

जमा अवधि	ब्याज दर प्रतिवर्ष
1 वर्ष	7.7
2 वर्ष	7.8
3 वर्ष	8.0
5 वर्ष	8.3

"

(ग) टिप्पण के पैरा (2) में, "सारणी थ" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "सारणी थ या सारणी द" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ब) नियम 8 में, खंड (कक) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे; अर्थात:-

(कक) जहां 1-वर्षीय, 2-वर्षीय, 3-वर्षीय या 5-वर्षीय खाते में जमा की गई रकम, जमा की तारीख से 6 माह पश्चात किंतु एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व परिपक्वता की अवधि से पहले, आहरित की जाती है, डाकघर बचत खाते की जमा राशि पर समय-समय पर लागू दर पर साधारण ब्याज संदेय होगा;

(ख) जहां 2-वर्षीय, 3-वर्षीय और 5 वर्षीय खातों में जमा रकम, जमा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात पूर्व परिपक्वता आहरित की जाती है, वहां जमाकर्ता को ऐसी जमा पर ब्याज संपूरित वर्षों और जमा की तारीख को आरंभ होने वाली अवधि से आने वाले तथा आहरण की तारीख को समाप्त होने वाले मासों के लिए संदेय होगा और ऐसा ब्याज उस दर पर संगणित किया जाएगा, जो नियम 7 के अधीन सुसंगत सारणी में यथास्थिति 1 वर्ष, 2 वर्षों या 3 वर्षों की जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर से एक प्रतिशत कम होगा।

[फा. सं. 1/11/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 664 (अ) तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 300 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 257 (अ) तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 502 (अ) तारीख 9 जुलाई, 1984, सा.का.नि. सं. 418 (अ) तारीख 10 मई, 1985, सा.का.नि. 193 (अ) तारीख 12 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 362 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 1005 (अ) तारीख 23 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. 353 (अ) तारीख 18 मार्च, 1988, सा.का.नि. 507 (अ) तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 191 (अ) तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 580 (अ) तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 727 (अ) तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 431 (अ)

तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 586 (अ) तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 118 (अ) तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 5 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 43 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 151 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 159 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 174 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 589 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 286 (अ) तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 479 (अ) तारीख 26 जून, 2008 और सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 04 अक्तूबर, 2011 द्वारा बाद में संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 846(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Second Amendment) Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981:-

   (a) In rule 7,-

   (A) under the heading Table-Q, for the brackets, words, figures and letters "[For deposits made on or after 1st March, 2003]", the brackets words, figures and letters, "[For deposits made on or after 1st March, 2003 but before 30th November, 2011]" shall be substituted;
   (B) after Table-Q, the following Table shall be inserted, namely:-

"Table-R

[For deposits made on or after 1st December, 2011]

Period of deposit	Rate of Interest per cent. per annum
1 year	7.7
2 years	7.8
3 years	8.0
5 years	8.3

";

   (C) in the Notes, in paragraph (2), for the word and letter "Table Q", the words and letters "Table Q or Table R" shall be substituted;

   (b) in rule 8, for clause (aa) and clause (b) the following shall be substituted, namely:-

   (aa) where a deposit in 1-year, 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely after 6 months but before the expiry of one year from the date of deposit, simple interest at the rate applicable from time to time to post office savings account shall be payable;
   (b) where a deposit in a 2-year, 3-year and 5-year account is withdrawn prematurely after the expiry of one year from the date of deposit, interest on such deposit shall be payable to the depositor for the completed years and months falling in the period commencing on the date

of deposit and ending with the date of withdrawal and such interest shall be calculated at the rate, which shall be one per cent. less than the rate specified for a deposit of 1 year 2 year or 3 years, as the case may be, in the relevant Table under rule 7.

[F. No. 1/11/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide: - G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 5(E) dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E) dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E) dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E) dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E) dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E) dated the 25th July, 2003, G.S.R. 286(E) dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E) dated the 26th June, 2008 and G.S.R. 742(E) dated the 4th October, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.